फर्द आदेशात

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

संतोष देवी बनाम बादाम देवी व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या :– 53/23 /20 प्रा0 पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/5/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता श्री आलोक गोपालिया हाजिर। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4 की तामील पूर्ण है, इनकी ओर से कोई पक्षकार/अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीया ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की अविभाजित कृषि भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण वह निरंतर काबिज काश्त हैं जिस पर अप्रार्थीगण जबरन स्थाई निर्माण करने व प्रार्थिया को बेदखल करने व शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करने पर आमादा है। अतः ग्राम श्योसिंहपुरा पटवार क्षैत्र श्योसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कालवाड तहसील कालवाड, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 185 पुराना 141 के खसरा नम्बर–222/2 रकबा 4.7677 हैक्टेयर में मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् आदेश प्रदान किये जाये। प्रार्थी/~~अप्रार्थीगण~~ अधिवक्ता की बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गयी। दौराने बहस जाहिर तथ्यों, पत्रावली मय रिकार्ड के अवलोकन से हम पाते हैं कि विवादित आराजी पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद बहुलता को रोकने व वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थना–पत्र के चरण संख्या–2 में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। फैसला आज दिनांक 20/5/2024 .....को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्जनम्बर से कम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:43:05 IST
Reason: SelfAttested